रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 45] नई दिल्ली, अक्तूबर 30—नवम्बर 5, 2016, शनिवार/कार्तिक 8—कार्तिक 14, 1938
No. 45] NEW DELHI, OCTOBER 30—NOVEMBER 5, 2016, SATURDAY/KARTIKA 8—KARTIKA 14, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2016

का.आ. 2181.—सरकारी स्थान (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित सारणी के कालम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए बैंक ऑफ इंडिया में सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है और आगे यह निदेश देती है कि उक्त अधिकारी उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों और अधिरोपित कर्तव्यों का, अधोलिखित सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सरकारी स्थानों के संबंध में, प्रयोग करेंगे।

सारणी

क्रम सं.	अधिकारी का पदनाम	सरकारी स्थानों की श्रेणियां और क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)	(3)
1.	अंचल प्रबंधक, आगरा अंचल, आगरा	उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा, अलीगढ़, इटावा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, हाथरस, कन्नौज, मेनपुरी, मथुरा, बदायूं, बुलंदशहर, एटा, मान्यवर कांशीराम नगर जिले/अर्द्ध-शहरी जिले में स्थित बैंक ऑफ इंडिया के स्वामित्व वाले अथवा उनके द्वारा पट्टे पर लिए गए या उनकी ओर से पट्टे पर लिए गए या उनके प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले परिसर।

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2016

का.आ. 2195.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1 नवम्बर, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है) अध्याय 5 और 6 [धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं] के उपबंध उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"टिहरी गढ़वाल एवं पौडी गढ़वाल के जिले में आने वाले सभी राजस्व ग्राम एवं क्षेत्र (उन क्षेत्रें के अतिरिक्त जहां पर क.रा. बी. अधिनियम की धारा 1(3) के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हो)।"

[सं. एस-38013/41/2016-एस.एस. I]

अजय मलिक, अवर सचिव

New Delhi, the 28th October, 2016

S.O. 2195.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st November, 2016 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Uttarakhand namely :—

"All the Revenue Villages and Areas under Tihri Garhwal & Pauri Garhwal Districts (Excluding areas where ESI Scheme have been brought into force under Section 1(3) of ESI Act, 1948)"

[No. S-38013/41/2016-S.S. I]

AJAY MALIK, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2016

का.आ. 2196.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ सं. 23/2013 और एलसी नं. 62/2010) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 02.11.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-34012/1/2012-आईआर (बी-II)]

रवि कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 2nd November, 2016

S.O. 2196.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 23/2013 & L.C. No. 62/2010) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Visakhapatnam Port Trust and their workmen, received by the Central Government on 02.11.2016.

[No. L-34012/1/2012-IR (B-II)]

RAVI KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT HYDERABAD

Present : Sri Muralidhar Pradhan, Presiding Officer

Dated the 22nd day of August, 2016

INDUSTRIAL DISPUTE No. 23/2013 & L.C. No. 62/2010

Between:

Sri Dadi Appa Rao,
S/o Late Bhadrachalam,
D.No.07-35, Yellapu Vani Palem,